

बजट 2024: बिहार के राजमार्गों के लिये 26 हजार करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री नरिमला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग विकास में 26,000 करोड़ रुपए के नविश की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- **बिहार में राजमार्ग विकास:** सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना है, जिनमें शामिल हैं:
 - पटना-पूरणिया एक्सप्रेसवे
 - बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे
 - बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला
 - बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल
- **वैद्युत परियोजनाएँ:** बजट में बिहार के पीरपैती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया वैद्युत संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है।
- **कंपनियों पर प्रभाव:** विशेषज्ञों के अनुसार, इस नविश से राजमार्ग निर्माण कंपनियों को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, जिससे सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement-AFS) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण है। इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
 - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
 - व्यय का अनुमान।
 - अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे अथवा अधिशेष के कारण।
 - आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति अर्थात् कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।